भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

10.08.2016 **को लोक सभा में**

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 3966

एनपीसीआईएल का संयुक्त उद्यम

3966. **श्री दुष्यंत चौटाला:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों की नई परियोजनाओं हेतु वित्त सुनिश्चित करने के लिए अन्य भारतीय सरकारी क्षेत्र इकाइयों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना की है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक एनपीसीआईएल द्वारा प्रारंभ किए गए संयुक्त उद्यमों की संख्या क्या है;

(ग) क्या एनपीसीआईएल ने संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत क्षमता की वृद्धि हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) जी, हाँ।

(ख) भविष्य में नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए अभी तक तीन संयुक्त उद्यम (जे.वी.) कंपनियाँ निगमित की गई हैं। ये हैं - अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल-एनटीपीसी), एनपीसीआईएल-इंडियन आयल नाभिकीय विद्युत कार्पोरेशन लिमिटेड एवं एनपीसीआईएल-राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) पावर कंपनी लिमिटेड।

(ग) जी, नहीं।

(घ) संयुक्त उद्यम के माध्यम से विदेशी तकनीकी सहयोग के साथ (कुडनकुलम को छोड़कर), परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है एवं इस संबंध में संयुक्त उद्यम के संभावित साझेदारों के साथ चर्चा प्रारंभ की गई है।

******